

राजस्थान-सरकार  
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6-7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर-302015  
फोन नम्बर 0141-2973804, 2988946 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:- रा.पै.मेडि.कौ/काउन्सलिंग/2018/2696

दिनांक:- 22-10-18

प्रधानाचार्य,  
संबद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज,  
राजस्थान।

**विषय:-** सत्र 2018-19 के अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2018-19 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग आयोजित दिनांक 16.10.2018 तक सम्पन्न हो चुकी है। काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम-महाविद्यालय आवंटित किये गये थे। निर्धारित समय तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय/संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए ऑन लाईन काउन्सलिंग के बाद प्रवेश हेतु काउन्सलिंग से आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में उपस्थिति देने/अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात्/प्रवेश हेतु पात्र पाये जाने पर उसी समय सर्वप्रथम महाविद्यालय/कॉलेजों की SSO ID के माध्यम से ऑन लाईन अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज करवाने का प्रावधान था, यदि आप द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश/काउन्सलिंग सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज नहीं करने एवं केवल ऑफ लाईन दस्तावेज प्राप्त कर शुल्क जमा कराने पर प्रवेश दिया गया है, जो मान्य नहीं है। ऑन लाईन रिपोर्टिंग के पश्चात् शेष सीटें रिक्त मानी जायेगी।

अतः सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय में ऑन लाईन के पश्चात् प्रवेश/काउन्सलिंग सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) की सूचना ऑन लाईन दर्ज के अनुसार ही मान्य होगी। यदि आप द्वारा किसी अभ्यर्थी का प्रवेश लेकर ऑफ लाईन रिपोर्टिंग की जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा नामांकरण नहीं किया जायेगा। साथ ही अभ्यर्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका/अन्य समस्याओं के लिए महाविद्यालय/संस्था स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करें।

*Dr.*  
22/10/18.  
रजिस्ट्रार

क्रमांक:- रा.पै.मेडि.कौ/काउन्सलिंग/2018/2696  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

दिनांक:- 22-10-18

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

*Dr.*  
22/10/18.  
रजिस्ट्रार